रजिस्ट्री संख्या डी. एल.—33001/92 REGISTERED NO. DL-33001/92

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 27] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 4, 1992/आषाढ़ 13, 1914
No. 27] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 4, 1992/ASADHA 13, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 4 जून, 1992

का.नि.आ. 132:—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उपधारा (7) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि जनरल आफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, पश्चिम कमान द्वारा कर्नल बी.एम. वर्मा का त्यागपत्र स्वीकार कर लिए जाने के कारण छावनी बोर्ड, फिरोजपुर में सदस्य का एक पद रिक्त हो गया है।

2. यह अधिसूचना दिनांक 16 मई, 92 के का.नि.आ. 96 का अतिक्रमण करती है।

[फाइल सं. 19/9/फिरोजपुर/सी/डीई/90/2004/डी (क्यू एण्ड सी)]

जसवंत सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 4th June, 1992

S.R.O. 132.—In pursuance of sub-section (7) of section 13 of Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), the Central Government hereby notifies that a vacancy has occurred in the membership of the Cantonment Board, Ferozepur by reason of the acceptance by the General Officer Commanding-in-Chief, Western Command of the resignation of Col. B. M. Verma.

2. This supersedes SRO 96 dated 16-5-92.

[F. No. 19/9/Ferozepur/C/DE/90/2004/D(Q&C)]
JASWANT SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 4 जून, 1992

का. नि.आ. 133 :—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उपधारा (7) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि कि स्टेशन कमांडर फिरोजपुर ने उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (3) के खण्ड (च) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कर्नल बलवीर सिंह को छावनी बोर्ड फिरोजपुर का सदस्य मनोनीत किया है। यह मनोनयन कर्नल बी.एम. वर्मा के स्थान पर किया गया है जिनका त्यागपत्र स्वीकृत हो चुका है।

यह अधिसूचना दिनांक 16 मई, 92 के का.नि.आ 97 का अतिक्रमण करती है।

[फाइल सं. 19/9/फिरोजपुर/सी/डी ई/90/2004/डी (क्यू एण्ड सी)]

जसवंत सिंह, अवर सचिव

New Delhi, the 4th June, 1992

S.R.O. 133.—In pursuance of sub-section (7) of section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), the Central Government hereby notifies that Col. Balbir Singh Kahlon has been nominated as a member of the Cantonment Board, Ferozepur by the Station Commander, Ferozepur in exercise of the powers conferred under clause (e) of sub-section (3) of section 13 of that Act vice Col. B. M. Verma whose resignation has been accepted.

2. This supersedes SRO 97 dated 16-5-92.

[F. No. 19/9/Ferozepur/C|DE|90|2004|D(Q&C)]
JASWANT SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 3 जून, 1992

का.नि.आ. 134 :—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उपधारा (7) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि जनरल आफिस कमांडिंग-इन-चीफ, दक्षिण कमांड द्वारा कैप्टन अभिजीत दास का त्याग पत्र स्वीकार कर लिये जाने के कारण छावनी बोर्ड, बेलगाम में सदस्य का एक पद रिक्त हो गया है।

[फाइल सं. 19/31/बेलगाम/सी/डी ई/90/1716/डी (क्यू एण्ड सी)]

जसवंत सिंह, अवर सचिव

New Delhi, the 3rd June, 1992

S.R.O. 134.—In pursuance of sub-section (7) of section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), the Central Government hereby notifies that a vacancy has occurred in the membership of the Cantonment Board, Belgaum by reason of the acceptance by the General Officer Commanding-in-Chief, Southern Command of the resignation of Capt. Abhijit Das.

[F. No. 19/31/Belgaum/C/DE|90|1716|D(Q&C)]
JASWANT SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 3 जून, 1992

का.नि.आ. 135 :—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उपधारा (7) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि स्टेशन कमांडर, बेलगाम ने उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (3) के खण्ड (च) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कर्नल पी.टी. मुथाना को छावनी बोर्ड, बेलगाम का सदस्य मनोनीत किया है यह मनोनयन कैप्टन अभिजीत दास के स्थान पर किया गया है जिनका त्यागपत्र स्वीकृत हो चुका है।

[फाइल सं. 19/31/बेलगाम/सी/डी ई/90/1716/डी (क्यू एण्ड सी)]

जसवंत सिंह, अवर सचिव

New Delhi, the 3rd June, 1992

S.R.O. 135.—In pursuance of sub-section (7) of section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), the Central Government hereby notifies that Col. P. T. Muthanna has been nominated as a member of the Cantonment Board, Belgaum by the Station Commander Belgaum in exercise of the powers conferred under clause (e) of sub-section (3) of section 13 of that Act vice Capt. Abhijit Das whose resignation has been accepted.

[F. No. 19/31/Belgaum/C/DE|90|1716|D(Q&C)]
JASWANT SINGH, Under Secy.

(वित्त प्रभाग)

नई दिल्ली, 2 जून, 1992

का.नि.आ.136 :—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सरकारी निवास स्थान आबंटन (रक्षा लेखा विभाग पूल) नियम, 1986 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों को सरकारी निवास स्थान आबंटन (रक्षा लेखा विभाग पूल) के संशोधित नियम, 1992 कहा जाएगा।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. सरकारी निवास स्थान आबंटन (रक्षा लेखा विभाग पूल) नियम, 1986 के नियम 2 में (उक्त नियम के रूप में इसमें इसके पश्चात संदर्भित) खण्ड (ट) के स्पष्टीकरण के लिए निम्नलिखित स्पष्टीकरण प्रतिस्थापित किया जायेगा अर्थात्:—

"स्पष्टीकरण :—नियम 18 के उपनियम (1) में यथाविनिर्दिष्ट के अनुसार आबंटन प्राधिकारी की पूर्व लिखित अनुमति से आबंटिती द्वारा केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी अथवा निकट सम्बन्धी के साथ सरकारी आवास में साझी होने को उप-किरायेदारी नहीं समझा जायेगा"।

3. उक्त नियमों के नियम-5 के नीचे सारणी के लिए निम्नलिखित सारणी प्रतिस्थापित की जायेगी, अर्थात्:—

"सारणी"

निवास स्थान का प्रकार	अधिकारी को जिस आबंटन वर्ष में आबंटन किया जाता है उसके प्रथम दिन उस का प्रवर्ग या उसकी मासिक परिलब्धियां
क	950 रुपये से कम
ख	1500 रुपये से कम किन्तु 950 रुपये से कम नहीं
ग	2800 रुपये से कम किन्तु 1500 रुपये से कम नहीं
घ	3600 रुपये से कम किन्तु 2800 रुपये से कम नहीं
ङ	3600 रुपये और उससे अधिक"

4. उक्त नियमों के नियम 6 में:—

(1) उप नियमों (2) और (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम प्रतिस्थापित होंगे :—अर्थात्:—

"(2) रक्षा लेखा विभाग के सभी अधिकारी उस स्टेशन पर जहां रिहायशी आवास बनाया गया है या उनके लिए विशेष रूप से बनाया जायेगा, आंबटन प्राधिकारी को सरकारी निवास स्थान आंबटन (रक्षा लेखा विभाग पूल) संशोधन नियम 1992 के प्रारम्भ होने की तारीख से, एक महीने के अन्दर अथवा जब और जैसे ही नए आवासीय भवन अधिकार में लिए जाते हैं तो आंबटन प्राधिकारी द्वारा निहित अवधि के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र मांगे जाने पर आवास के आंबटन के लिए आवेदन देंगे।

(3) उस स्टेशन पर जहां रक्षा लेखा विभाग के अधिकारियों के लिए रिहायशी आवास विशेष रूप से बनाया गया है वहां नई नियुक्ति पर या स्थानान्तरण पर ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करने पर उसके द्वारा ड्यूटी पर रिपोर्ट करने के एक मास के भीतर उसे आवास के आंबटन हेतु अपना आवेदन पत्र आंबटन प्राधिकारी को देना होगा।"

(2) उपनियम (4) के बाद निम्नलिखित उपनियम अन्त स्थापित होगा, अर्थात् :—

"(5) यदि कोई अधिकारी पहले से ही स्टेशन पर सेवा कर रहा है या कोई अधिकारी नई नियुक्ति पर या स्थानान्तरण हो जाने पर स्टेशन पर ड्यूटी ग्रहण करता है जो रक्षा लेखा विभाग के आवास के लिए पात्र है वह सरकारी निवास स्थान आंबटन (रक्षा लेखा विभाग पूल) संशोधन नियम 1992 के प्रारम्भ होने के एक महीने के भीतर या स्टेशन पर उसके पदभार ग्रहण करने के एक मास के भीतर जैसा भी मामला हो, आवास के लिये आवेदन करने में असफल होता है जैसा कि उपनियमों (2), (3) और (4) में उपबन्धित किया गया है तो वह सरकारी निवास स्थान आंबटन (रक्षा लेखा विभाग पूल) संशोधन नियम 1992 के प्रारम्भ होने के एक मास की स्वीकार्य अवधि समाप्त हो जाने के बाद की अगली तारीख से मकान किराये भत्ते के लिए पात्र नहीं होगा। यदि आवास का वह प्रकार जिसके लिए अधिकारी पात्र है उस तारीख को खाली है तो वह तब तक मकान किराये भत्ते के लिए अपात्र बना रहेगा जब तक कि ऐसा कोई आवास खाली पड़ा रहता है। अधिकारीगण मकान किराये भत्ते के प्रथम दावे के समर्थन में इस आशय का एक प्रमाण पत्र आंबटन अधिकारी से प्राप्त कर उसका पृष्ठांकन करेगा कि आवास का प्रकार जिसके लिए वह हकदार है, उपलब्ध नहीं है, बशर्ते कि उपनियम (2), (3) और (5) उन पर लागू नहीं होंगे जिनके अपने मकान है और स्वयं उनमें रह रहे हैं तथा आंबटन प्राधिकारी को इस आशय का एक प्रमाण पत्र देते हैं।"

5. उक्त नियमों के नियम 12 में, उपनियम (2) के [illegible] निम्नलिखित उपनियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(3) एक अधिकारी जो उपनियम (1) के अन्तर्गत सरकारी आवास का अभ्यर्पण करता है वह आवास अभ्यर्पित करने के अनुगामी दिवस से मकान किराये भत्ते के लिए अपात्र हो जायेगा। यदि आवास का वह प्रकार जिस के लिए अधिकारी पात्र है उस तारीख को खाली है तब उपनियम (4) में यथा विनिर्दिष्ट अथवा जहां आवंटन प्राधिकारी [illegible] "आवास नहीं" प्रमाण पत्र जारी किया जाता है के [illegible] उस समय तक मकान किराया भत्ता के लिए सिवाय, [illegible] जब तक कि ऐसा कोई आवास खाली अपात्र बना रहेगा [illegible] उपनियम (5) के उपबंध ऐसे रहता है। नियम 6 के [illegible] अभ्यर्पण करने के बाद अधिकारी पर लागू होंगे जो पात्र [illegible] मकान किराये भत्ते का दावा करते हैं।

(4) यदि एक सरकारी कर्मचारी जो अपना निजी मकान अर्जित कर लेने पर [illegible] आवंटन का अभ्यर्पण करता है तब उस पर उपनियम (3) में दिये गये उपबन्ध लागू नहीं होंगे बशर्ते कि वह उस आशय का एक प्रमाण पत्र देता है कि उसने अपना निजी मकान अर्जित कर लिया है और उसमें रह रहा है।"

6. उक्त नियमों के नियम 18 के लिए निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

"18 निवास स्थान में दर किरायेदारी एवं सांझेदारी :—

(1) कोई भी अधिकारी उसे आबंटित किए गए निवास स्थान अथवा उसके अनुलग्न उपगृह, गैराज को सांझेदारी अपने निकट सम्बन्धी या इन नियमों के अधीन आवास के आबंटन हेतु पात्र केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के सिवाए अन्य से नहीं करेगा। प्रत्येक मामले में सांझेदारी करने के लिए आबंटन प्राधिकारी की लिखित अनुमति आवश्यक होगी। सेवक क्वार्टरों, उपगृहों, गैराजों का उपयोग आबंटिती के सेवक के निवास स्थान या किसी ऐसे अन्य उद्देश्य जिसके लिए आबंटन प्राधिकारी अनुमति देता है सहित केवल वास्तविक उद्देश्यों के लिए ही किया जायेगा।

स्पष्टीकरण :— इस उपनियम के उद्देश्य के लिए निम्नलिखित संबंधी निकट संबंधी माने जायेंगे :—

(1) पिता, माता, भाई, बहन, पितामह और पितामही और पौत्र तथा पौत्रियां

(2) आबंटिती की सीधी रक्त नातेदारी वाले चाचा चाची, सगे चचेरे भाई, भतीजे, भतीजियां।

(3) ससुर, सास, साली, दामाद, पुत्र वधु।

(4) विधि अंगीकरण द्वारा स्थापित किया गया रिश्ता।

(2) कोई भी अधिकारी अपने निवास स्थान का पूरा या उसका हिस्सा उप किराये पर नहीं उठायेगा :—

बशर्ते कि एक अधिकारी छुट्टी पर जाते समय किसी अन्य अधिकारी को, जो सरकारी आवास में सहभागी बनने का पात्र है नियम 9 के उपनियम (2) में निर्धारित की गई अवधि के लिए रखवाले के रूप में रख सकता है लेकिन यह अवधि छः महीने से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा आवंटन प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से होनी चाहिए।

(3) कोई अधिकारी जो अपने निवास स्थान का सहभागी करता है वह उसे अपने जोखिम और जिम्मेदारी पर करेगा और वह किसी भी लाइसेंस फीस, जो निवास स्थान के बारे में देय है के लिए और आवास अथवा उसकी असीमा या भूमि या सरकार द्वारा उसमें उपलब्ध कराई गई सेवा को उचित टूटफूट से परे पहुंची क्षति के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार रहेगा।

7. उक्त नियमों के नियम 19 में उपनियम (1) के स्पष्टीकरण में कोष्ठकों और अंक "(1)" को हटा दिया जायेगा।

[सं. प्रशा० XVIII/18007/1/जिल्द-IX]

एस. एल. खुराना, सहायक वित्तीय सलाहकार
(सी)

टिप्पण :—मुख्य नियम दिनांक 13-12-86 के का०नि० आ०सं० 351 के द्वारा अधिसूचित किया गया था।

(Finance Division)

New Delhi, the 2nd June, 1992

S.R.O. 136.—In exercise of powers conferred by the *proviso* to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Allotment of Government Residences (Defence Accounts Department pool) Rules, 1986, namely :—

1. (1) These rules may be called the Allotment of Government Residences (Defence Accounts Department pool) Amendment Rules, 1992.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In rule 2 of the Allotment Government Residences (Defence Accounts Department pool) Rules, 1986 (hereinafter referred to as the said rules), for the Explanation to clause (k), the following Explanation shall be substituted, namely :—

"EXPLANATION.—Sharing of a Government accommodation by an allottee, with prior written approval of the Allotting Authority, with a Central Government employee, or close relations as specified in sub-rule (1) of rule 18 shall not be deemed to be subletting."

3. For the Table below rule 5 of the said rules, the following Table shall be substituted, namely :—

"TABLE

Type of residence	Category of officer or his monthly emoluments as on the 1st day of the allotment year in which allotment is made
A	Less than Rs. 950
B	Less than Rs. 1500 but not less than Rs. 950
C	Less than Rs. 2800 but not less than Rs. 1500
D	Less than Rs. 3600 but not less than Rs. 2800
E	Rs. 3600 and above".

4. In rule 6 of the said rules,—

(i) for sub-rules (2) and (3), the following sub-rules shall be substituted, namely :—

"(2) All officers of Defence Accounts Department at the station, where residential accommodation has been built or will be built specifically for them, shall apply for allotment of accommodation to the Alloting Authority within one month from the date of commencement of the Allotment of Government Residences (Defence Accounts Department pool) Amendment Rules, 1992 or within the period specified by the allotting authority calling for application as and when new residential buildings are taken over.

(3) Officers reporting for duty on fresh appointment or on transfer at a station where residential accommodation has been built specifically for the officers of the Defence Accounts Department, shall apply for allotment of accommodation to the allotting authority within one month of his/her reporting for duty.";

(ii) after sub-rule (4) the following sub rule shall be inserted, namely :—

"(5) If an officer already serving at the station or an officer joining duty at the station either on fresh appointment or on transfer, who is eligible for the Defence Accounts Department accommodation, fails to apply for the accommodation within one of the commencement of the Allotment of Government Residences (Defence Accounts Department pool) Amendment Rules, 1992 or within one month of his/her joining duty at the station, as the case may be, as provided in sub-rules (2), (3) and (4) he shall become ineligible for house rent allowance as admissible from the date following the expiry of one month of the commencement of the Allotment of Government Residences (Defence Accounts Department pool) Amendment Rules, 1992. If the accommodation of the type to which the officer is eligible is vacant on that date, he shall continue to be ineligible for House Rent Allowance till such time any of such accommodation remains vacant. In support of first claim for House Rent Allowance, the officers shall obtain a certificate from the Allotting Authority to the effect that no accommodation of entitled type is available and endorse the same :

Provided that sub rules (2), (3) and (5) shall not apply to those who own houses and are themselves staying in them and give a certificate to that effect to the Allotting Authority."

5. In rule 12 of the said rules, after sub-rule (2), the following sub-rule shall be inserted, namely :—

"(3) An officer who surrenders the Government accommodation under sub-rule (1) shall become ineligible for House Rent Allowance from the following day, the accommodation is surrendered. If the accommodation of the

type to which the officer is eligible is vacant on that date, he shall continue to be ineligible for House Rent Allowance till such time any of such accommodation remains vacant except as specified in sub-rule (4) or "No Accommodation" certificate is issued by the Allotting Authority. The provisions of sub-rule (5) of rule 6 shall apply to such officer claiming the House Rent Allowance after surrender of accommodation.

(4) If a Government servant who surrenders the allotment on acquiring or building his/her own house the provision laid down in sub-rule (3) shall not apply to him provided he/she furnishes a certificate to the effect that he/she has acquired/or built his/her own house and is staying therein."

6. For rule 18 of the said rules, the following rule shall be substituted namely :—

"18. Sub-letting and sharing of residence.—(1) No officer shall share the residence allotted to him or any of the outhouses, garages, appurtenant thereto except with the employees of the Central Government, eligible for allotment of residences under these rules, or with his close relations. In each case, sharing shall require prior written approval of the Allotting authority. The servants quarters, outhouses, garages shall be used only for the bonafide purposes including residence of the servants of the allottee or for such other purpose as may be permitted by the Allotting Authority.

EXPLANATION.—For the purpose of this sub-rule the following relations will be treated as close relations :—

(1) Father, Mother, Brothers, Sisters, Grandfather and Mother and Grandsons and daughters.

(2) Uncles, Aunts, First Cousins, Nephews, Nieces directly related by blood to allottee.

(3) Father-in-law, Mother-in-law, Sister-in-law, Son-in-Law, Daughter-in-Law.

(4) Relationship established by legal adoption.

(2) No officer shall sublet the whole or part of his residence :

Provided that an officer proceeding on leave may accommodate in the residence any other officer eligible to share Government accommodation, as a caretaker for the period specified in sub-rule (2) of rule 9 but not exceeding six months and with prior approval of the Allotting Authority.

(3) Any officer who shares his residence shall do so at his own risk and responsibility and shall remain personally responsible for any licence fee payable in respect of the residence and for any damage caused to the residence or its precincts or grounds or service provided therein by the Government, beyond fair wear and tear.

7. In rule 19 of the said-rules in the Explanation to sub-rule (1), the brackets and figures "(1)" shall be omitted.

[No. AN/XVIII/18007/1/Vol-IX]

SH. LUTHRA, Asstt. Financial Adviser (C)

NOTE.—The principal rule was notified vide SRO No. 351 dt. 13-12-86.

नई दिल्ली, 6 मई, 1992

का.नि.आ. 137.—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उपधारा (7) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि अधिनियम की उपधारा 16(2) के अन्तर्गत 12-4-1992 को अधिसूचित बोर्ड के आकस्मिक चुनाव में खास्यौल के वार्ड सं. 5 से श्री जितेन्द्र शर्मा छावनी परिषद के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए हैं।

[फाइल सं. 29/39/खास्यौल/सी/डी ई/90/1632/डी (क्यू एण्ड सी)]

जसवन्त सिंह, अवर सचिव

New Delhi, the 6th May, 1992

S.R.O. 137.—In pursuance of sub-section (7) of Section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), the Central Government hereby notifies that Shri Jitendra Sharma has been elected as a member of Cantonment Board, Khasyol from Ward No. V at the casual election of the Board notified under sub-section 16(2) of the Act for 12-4-1992.

[F. No. 29/39/Khasyol/C/DE/90/1632/D(Q&C)]

JASWANT SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 11 जून, 1992

का.नि.आ. 138.—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उपधारा (7) का अनुसरण करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि अधिनियम की धारा 16(1) के अन्तर्गत अधिसूचित हुए 12-4-92 को हुए चुनाव में छावनी परिषद्, देहरादून तथा फतेहगढ़ के निम्नलिखित व्यक्ति सदस्यों के रूप में निर्वाचित हुए हैं—

1. देहरादून छावनी परिषद्

श्री देवेन्द्र सिंह	वार्ड नं. 1
श्री किशन लाल भाटिया	वार्ड नं 2
श्री ओम प्रकाश	वार्ड नं. 3
श्री नरेन्द्र सिंह छत्री	वार्ड नं. 4
श्री गुरु प्रसाद	वार्ड नं. 5
श्री विष्णु प्रसाद	वार्ड नं. 6
श्री अरुण कुमार	वार्ड नं. 7 (आरक्षित)

2. फतेहगढ़ छावनी परिषद्

श्री राम स्नेही	वार्ड नं. 1
श्री शशि मोहन	वार्ड नं. 2
श्री मुन्नालाल राजपूत	वार्ड नं. 3
श्री वीरपाल सिंह	वार्ड नं. 4
श्री रामचन्द्र	वार्ड नं. 5
श्री विजय कुमार	वार्ड नं. 6

[फाइल सं. 29/22/देहरादून/सी/डी ई/85/2122/डी (क्यू एण्ड सी)]

जसवन्त सिंह, अवर सचिव

New Delhi, the 11th June, 1992

S.R.O. 138.—In pursuance of sub-section (7) of section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), the Central Government hereby notifies the election of the members at the ordinary elections to the Cantonment Boards Dehradun and Fatehgarh notified under section 16(1) of the Act for 12-4-92.

1. Dehradun Cantonment Board :—
Shri Devender Singh—Ward No. I
Shri Kishan Lal Bhatia—Ward No. II
Shri Om Prakash—Ward No. III
Shri Narender Singh Chettri—Ward No. IV
Shri Guru Prasad Tiwari—Ward No. V
Shri Bishnu Prasad—Ward No. VI
Shri Arun Kumar—Ward No. VII (Reserved Seat)

2. Fatehgarh Cantonment Board :—
Shri Ram Senehi—Ward No. I
Shri Shashi Mohan—Ward No. II
Shri Munna Lal Rajput—Ward No. III
Shri Virpal Singh—Ward No. IV
Shri Ram Chandra—Ward No. V
Shri Vijay Kumar—Ward No. VI

[F. No. 29|22|Dehradun|C|DE|85|2122|D (Q&C)]

JASWANT SINGH, Under Secy.

Printed by the Manager Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi 110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1992